


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग जिला डीग

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस राज
प्रमोद बनीम सुरेन्द्र सिंह नगौ

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामीन
में जारी हुए

पथमा किरम:- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एन,

नम्बर :- 59 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस राज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीन में जारी हुए
5.06.2025	<p>सायल के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायल के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायल के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं शक्ति सायल के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जाये।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सायल इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 615/0.79, वाके ग्राम ओखोली तहसील व जिला डीग में स्थित आराजीयात पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान 01 लगायत 10 को आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जाये।</p> <p>यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>आयन्दा पत्रवाली वास्ते तलबी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (देवी सिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डीग </p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीन में जारी हुए</p>

88/25
पथकारन अधिकार उपखण्ड अधिकारी
इसकारण कार्य में उक्त पर/केस में भर
पत्र है। वकील यादी/प्रतिवादी ने
आ किया। शामिल पत्रवाली होकर पूर्वानुसंग
10.10.25 को पेश हो।

15-9-25 पत्रवाली काउ पेश हुई। मुक्ति
मूल दावा राजीनामा के काप्य
पर विज्ञे कर लिया गया है। अतः
इसने काप्य पर प्रा० पत्र शारिज
किया जाता है। पत्रवाली के लाल
शुक्र होकर नम्बर से १४ की

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रमोद कुमार
Indrani
15/09/25